झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज॰स॰(नि॰) राँची –05/13 राँची, दिनांक –

आदेश

श्री आनन्दी प्रसाद सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 1906 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी॰ के अन्तर्गत सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल धुर्वा स्थित यॉत्रिक कर्मशाला परिसर भवन एवं भण्डार में अनुपयोगी एवं बेकार पड़े सामानो के मूल्यांकण में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार के साथ जो धोखाधड़ी करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि यॉत्रिक प्रमण्डल राँची के नियंत्रणाधीन अनुपयोगी तथा बेकार सामग्रियों की मात्रा एवं दर का मूल्यांकन न्यूनतम निर्धारित करते हुए निलामी की सूचना निकाली गई जिसके आलोक में रू० 16.14 लाख की अधिकत्तम बोली प्राप्त हुई। इसी क्रम के संदर्भित विषय में परिवाद प्राप्त होने के पश्चात समीक्षो परान्त उक्त निलामी की निविदा को रद्द करते हुए पुनः सामग्रियों का मल्यांकन करवाया गया, जिसका मूल्य रू० 41,23712/–रूपये निर्धारित किया गया एवं इसके निलामी पर रू० 42,05,000/–रूपये की राशि प्राप्त हुई। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्रियों का मूल्यांकन एवं दर निर्धारण गलत मंशा से न्यूनतम दर पर किया गया। यदि विभाग गंभीर नहीं होता तो सरकारी राजकोष में काफी क्षति होता। इस प्रकार उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री आनन्दी प्रसाद सिंह के विरूद्ध पेंशन से 10% की कटौती के प्रस्तावित दण्ड के लिए विभागीय पत्रांक 4555 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई थी।

श्री आनन्दी प्रसाद सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नई तथ्यों का जिक्र नहीं है।

अतः श्री आनन्दी प्रसाद सिंह तत्कालीन मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया –

(i) पेंशन राशि से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती।

अतएव एतद् द्वारा सरकार का उपर्युक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि॰)

ज्ञापांक – 6347 **राँची,दिनांक** – 28-12-15

प्रतिलिपि – महालेखाकार(ले॰ एवं हक॰) झारखण्ड राँची। उप सचिव (प्र॰) जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यॉत्रिक प्रमण्डल धुर्वा, राँची/श्री आनन्दी प्रसाद सिंह तत्कालीन मुख्य अभियंता (यॉ॰) झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड कॉलोनी, पो॰+थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग/वेब मैनेजर, जल से संसाधन विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.12.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि॰)